न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.50/2025 (GCMS No. 2025/136)	अपील	06.10.2025	24.02.2026

बउनवान

श्रीमती मंजेश पुत्री नन्दा पत्नी भंवरलाल जाति कुम्हार,
निवासी ग्राम सांदडी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

– अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन आ. नन्दा जाति कुम्हार, निवासी ग्राम चापरस
2. रामलाल आ. नन्दा जाति कुम्हार, निवासी ग्राम चापरस
3. नटी पुत्री नन्दा पत्नी देवीशंकर जाति कुम्हार, निवासी ग्राम ठीकरदा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. भूली बाई पत्नी नन्दा जाति कुम्हार, निवासी ग्राम चापरस, तहसील एवं जिला बून्दी।
5. रामप्यारी पुत्री नन्दा पत्नी भैरूप्रकाश जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बीचडी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी
7. उप पंजीयक, बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड़, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री रमेश कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 6, 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार, बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 660 दिनांक 28.07.2022 ग्राम चापरस से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड रिलीजडीड के आधार पर तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 50/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/136 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 245/25 रकबा 0.0769 हैक्टेयर, ख.सं. 379/30 रकबा 2.2839 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 2.3608 हैक्टेयर वाकेग्राम चापरस में विरिथत है, जिसके पूर्व खातेदार नन्दा एवं प्रताप कौम कुम्हार थे। पूर्व खातेदार नन्दा आ. प्रताप का दिनांक 12.04.2008 को देहान्त हो जाने से उक्त आराजी उनके वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। उक्त पैतृक सम्पत्ति में अपीलांट का राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा खातेदारी में निहित है। अपीलांट एवं रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 आपस में सगे भाई बहिन है एवं रेस्पो. सं. 5 पक्षकारान की माता है। रेस्पो.सं. 1 व 2 द्वारा अपीलांट को भ्रमित कर यह कहकर उप पंजीयक कार्यालय बून्दी लाया कि उक्त भूमियों में के.सी.सी. का काम करवाना है, जिसके लिए अपीलांट के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है। इसलिए वह रेस्पो.सं.1 व 2 के विश्वास में आ गई। अपीलांट ज्यादा पढी लिखी नहीं होने का अनुचित फायदा उठाते हुये रेस्पो.सं.1 व 2 ने अपीलांट के 1/6 हिस्से की भूमि बाबत दिनांक 14.07.2022 को हकत्याग पत्र विलेख तैयार करवाकर उप पंजीयक कार्यालय बून्दी में पंजीबद्ध करवाया लिया। उक्त हकत्याग अपीलांट द्वारा अपनी स्वेच्छा अथवा सहमति से नहीं किया जाने से एवं रेस्पो.सं.1 व 2 द्वारा धोखाधडी व जालसाजी से करवाये जाने के कारण प्रारम्भ से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। इसलिए अपीलांट द्वारा हक त्यागपत्र दिनांक 14.07.2022 को निरस्त किये जाने बाबत एक वाद पत्र रेस्पो. सं. 1 लगायत 6 के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश बून्दी में प्रस्तुत किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं दस्तावेज, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उक्त प्रभावहीन हक त्यागपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 660 तस्दीक कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी जमाबंदी की नकल लेने पर दिनांक 03.10.2025 को हुई। अपील को मियाद बाहर माना जावे तो अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपील विषयक नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा स्वयं अपनी सहमति से हकत्याग पत्र निष्पादित करवाकर रजिस्टर्ड करवाया गया है। उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट व उसके पति तथा पुत्र के समक्ष सबकी सहमति से खुला है, जिसकी सबको प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। किन्तु बाद में उक्त हक त्यागपत्र को निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने सिविल न्यायालय क्रम संख्या 3 बून्दी में दावा पेश कर दिया, उसका जवाब विपक्षी क्रम सं. 1 व 2 द्वारा दिनांक 21.11.2022 को पेश कर नकल अपीलांट के वकील साहब को दे दी थी, उसमें भी नामान्तरकरण संख्या 660 खुल जाने का उल्लेख किया था। इस प्रकार दिनांक 21.11.2022 को भी अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हो गई थी। इसके उपरान्त भी इतने लम्बे समय बाद अपील पेश की है जो प्रकटतया मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को निरस्त करवाये जाने हेतु अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 3 बून्दी के यहां दायर किया गया प्रकरण संख्या 63/2022 उनवान मंजेश बनाम रामकिशन वगै. निर्णय दिनांक 18.12.2025 से खारिज हो चुका है। इसलिए रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 660 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत अपील में कोई कानूनी बिन्दू नहीं होने से एवं तथ्यों को छिपाकर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 द्वारा 2013 डीएनजे पेज 919, 1996(1) आरएलआर पेज 714, 2023(2) डीएनजे पेज 583, 2018(3) डीएनजे पे 930, 1999 आरआरडी पेज 152, 2019(1) डीएनजे पेज 47, 2024(4) डीएनजे पेज 1424 की नजीरें पेश करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.10.2025 को होना अपील के साथ प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित गया गया। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम चापरस में स्थित आराजी ख.सं. 245/25 रकबा 0.0769 हैक्टेयर एवं ख.सं. 379/30 रकबा 2.2839 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 2.3608 हैक्टेयर भूमि के खातेदार भूलीबाई पत्नी नन्दा, रामकिशन, रामलाल पि. नन्दा, रामप्यारी, नटी, मंजेश पुत्रियां नन्दा हिस्सा 1/6 बराबर दर्ज रेकार्ड थे। खातेदार भूलीबाई, रामप्यारी, नटी एवं मंजेश द्वारा अपना–अपना 1/6 हिस्सा रिलीजगृहिता रामकिशन, रामलाल पि0 नन्दा के पक्ष में रिलीज कर रजिस्टर्ड रिलीजडीड दिनांक 14.07.2022 निष्पादित करवाई गई। रजिस्टर्ड रिलीजडीड के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 28.07.2022 स्वीकृत किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील में अपीलांट की आपत्ति रही कि रेस्पो.सं.1 व 2 द्वारा अपीलांट को धोखे में रखकर उसकी इच्छा के विपरीत उक्त रिलीजडीड निष्पादित करवाई गई, जिसे निरस्त करवाये जाने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए रेस्पो.सं. 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रभावशून्य होने से निरस्त किया जावे।

अपीलांट की उक्त आपत्ति के संबंध में अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 की ओर से अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 3 बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2025 की प्रमाणित प्रति पेश की जाकर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में निर्णय हो चुका है। इसलिए रिलीजडीड को निरस्त किये जाने बाबत कार्यवाही विचाराधीन होने का तथ्य निराधार है।

पत्रावली पर उपलब्ध अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 3 बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 63/2022 उनवान मंजेश बनाम रामकिशन वगै. में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2025 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किये जाने से प्रकट है कि उक्त प्रकरण निर्णीत हो चुका है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज रिलीजडीड के आधार पर तस्दीक किया है, जिसमें कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 660 में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी